दिल्ली विकास प्राधिकरण
समन्वय (आवास)
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली

परिपत्र

संख्या एफ/1/0001/2025/कॉर्ड/-ओ/ओ डीडी (कार्डिनेशन) दिनांक: 06.01.2025

विषय: किफायती आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए फ्लैटों में 25% की विशेष छूट के साथ डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 का शुभारंभ।

दिल्ली **विकास प्राधिकरण (डीडीए)** नरेला , लोकनायकपुरम और सिरसपुर में विभिन्न स्थानों पर **ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी** और **एचआईजी फ्लैटों** पर **25% की** विशेष छूट **के साथ डीडीए सबका घर आवास स्कीम 2025** शुरू करने की सहर्ष घोषणा करता है । यह ऑफर फ्लैटों की **सीमित सूची पर उपलब्ध है** और यह छूट **केवल 31.03.2025 तक मान्य होगी और पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर उपलब्ध होगी।** इस पहल का उद्देश्य समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए किफायती आवास तक अधिक पहुँच सुनिश्चित करना है।

फ्लैटों पर छूट:

- **लोकनायकपुरम, सिरसपुर** और **नरेला** में **ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट**
- **लोकनायकपुरम** और **नरेला** में **एमआईजी और एचआईजी फ्लैट**

पात्रता मापदंड:

25% की छूट निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है:

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के लिए (सभी श्रेणियों के लिए छूट उपलब्ध):

- **ऑटो रिक्शा ड्राइवर** और **कैब ड्राइवर** जिनके नाम पर **परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी से 31.12.2024** को या उससे पहले परमिट और पंजीकरण है ।
- पीएम **स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति** जैसे स्ट्रीट वेंडर/हॉकर।
- महिलाएँ
- शहीद सैनिकों की विधवाएँ
- पूर्व सैनिक तथा वीरता एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित व्यक्ति

नरेला और लोकनायकपुरम में एमआईजी फ्लैटों और नरेला में एचआईजी फ्लैटों के लिए (छूट केवल निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध है):

- महीलाएँ
- शहीद सैनिको की विधवाएँ
- पूर्व सैनिक तथा वीरता एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित व्यक्ति

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

- पंजीकरण प्रारंभ: **06.01.2025**
- बुकिंग प्रारंभ: **15.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से**
- स्कीम बंद होने की तिथि: **31.03.2025**
- आवेदकों को बुकिंग से पहले फ्लैटों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आबंटन प्रक्रिया:

- **पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर** किया जाएगा।
- आबंटन **लॉटरी के माध्यम से नहीं है** .

पंजीकरण एवं बुकिंग विवरण:

- **पंजीकरण** और **बुकिंग** केवल डीडीए वेबसाइट https://eservices.dda.org.in के माध्यम से **ऑनलाइन** की जा सकती है ।
- **आसान ऋण वित्तपोषण** के लिए, डीडीए ने फिनटेक कंपनी एएमबीएके अंबक के साथ सहयोग किया है।
- किसी भी पूछताछ के लिए इच्छुक खरीदार **डीडीए हेल्पलाइन 1800-011-0332** पर संपर्क कर सकते हैं ।
- सभी प्रश्नों और दस्तावेज़ीकरण में सहायता के लिए **राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर** डीडीए **कियोस्क** उपलब्ध है ।
- **डीडीए मुख्यालय, विकास सदन में** एक **समर्पित हेल्पडेस्क** स्थापित किया गया है ।

पंजीकरण शुल्क: 2500/- रुपये

बुकिंग शुल्क:

- **ईडब्ल्यूएस फ्लैटों** की बुकिंग : 50,000 रूपये
- **एलआईजी फ्लैटों** की बुकिंग : 1,00,000 रूपये
- **एमआईजी फ्लैटों** की बुकिंग : 4,00,000 रूपये
- **एचआईजी फ्लैट्स** की बुकिंग : 10,00,000 रूपये

  उपर्युक्त शुल्क **अप्रतिदेय हैं।**

फ्लैट विवरण:

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स (रियायती मूल्य):

उपर्युक्त वर्णित सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध।

क्रम सं.	स्थान	फ्लैट श्रेणी	फ्लैटों की संख्या*	प्लिंथ क्षेत्र की अनुमानित सीमा (वर्ग मीटर)**	अनुमानित कीमत की विस्तृत सीमा (रु. लाख में)	अद्यतन मूल्य सीमा (25% छूट के बाद)***
1	सिरसपुर	एलआईजी	127	35.76 से 36.39 तक	17.41 से 17.71 तक	13.06 से 13.28 तक
2	लोकनायकपुरम	एलआईजी	41	42 से 44.46 तक	26.98 से 28.47 तक	20.23 से 21.35 तक
3	नरेला [जी पॉकिट 2]	एलआईजी	70	33 से 34 तक	14 से 14.1 तक	10.5 से 10.58 तक
4	नरेला [जी 7/8 पॉकिट 3]	एलआईजी	230	33 से 34 तक	14 से 14.1 तक	10.5 से 10.5 तक 8
5	नरेला [जी7/8 पॉकिट 4]	एलआईजी	645	49.9	23.19	17.39
6	नरेला [जी7/8 पॉकिट 5]	एलआईजी	806	49.9	23.19	17.39
7	नरेला, पॉकिट 1,3,4,5,6 सेक्टर जी 2	एलआईजी	1523	49.9	23.17 से 23.25 तक	17.38 से 17.44 तक
8	नरेला, पॉकिट 6,711 सेक्टर जी7	एलआईजी	2344	49.9	28	21
9	नरेला, पॉकिट 6,7, 11 सेक्टर जी7	ईडब्ल्यूएस	508	34 से 35.1 तक	14	10.5
1(	नरेला, पॉकिट 1, सेक्टर जी2	ईडब्ल्यूएस	80	34 से 35.1 तक	11.54 से 11.67 तक	8.65 से 8.8 तक
1	नरेला पॉकिट 1ए, 1बी और 1सी, सेक्टर ए1-ए4	ईडब्ल्यूएस	258	46.71 से 54.08 तक	17 से 19.7 तक	12.75 से 14.8 तक
1	नरेला , पॉकिट 3,4,7 और 14 सेक्टर ए 1-ए 4	ईडब्ल्यूएस	178	61 से 66.4 तक	32 से 35 तक	24 से 26. तक 25
	कुल		**6810**			

नोटः

**योजना के शुभारंभ के समय फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, तथा किसी विशेष स्थान/क्षेत्र में फ्लैटों की संख्या उपलब्धता के आधार पर बदली जा सकती है।*

***प्लिंथ एरिया में कॉमन एरिया शामिल है और यह फ्लैट से फ्लैट में भिन्न हो सकता है।*

****मांग पत्र प्रत्येक फ्लैट के वास्तविक प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार जारी किया जाएगा। इसलिए, फ्लैटों की निपटान कीमत प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। अनुमानित लागत में परिवर्तन प्रभार और पानी कनेक्शन शुल्क शामिल नहीं है।*

एमआईजी और एचआईजी फ्लैट (रियायती मूल्य) –

यह छूट महिलाओं, शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और वीरता एवं अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर लागू होती है :

क्रम सं.	स्थान	फ्लैट श्रेणी	फ्लैटों की संख्या*	प्लिंथ क्षेत्र की अनुमानित सीमा (वर्ग मीटर)**	अनुमानित कीमत की विस्तृत रेंज (रु. लाख में)	अद्यतन मूल्य सीमा (25% छूट के बाद)***
1	नरेला पॉकेट, 7 सेक्टर ए1-ए4	एमआईजी	393	118 से 141तक	108 से 122 तक	81 से 91.5 तक
2	नरेला पॉकेट 1ए, सेक्टर ए1-ए4	एमआईजी	5	112 से 114 तक	100 से 101 तक	75 से 75.75 तक
3	नरेला पॉकेट 1बी, सेक्टर ए1-ए4	एमआईजी	22	112 से 114 तक	100 से 10 तक 1	75 से 75. तक
4	नरेला पॉकेट 1सी, सेक्टर ए1-ए4	एमआईजी	51	112 से 114 तक	100 से 101 तक	75 से 75.75 तक
5	नरेला पॉकेट 3 सेक्टर ए1-ए4	एचआईजी	100	160 से 186 तक	140 से 173 तक	105 से 129.75 तक
6	नरेला पॉकेट 4 सेक्टर ए1-ए4	एचआईजी	75	160 से 186 तक	140 से 173 तक	105 से 129.75 तक
7	नरेला पॉकेट 7 सेक्टर ए1-ए4	एचआईजी	60	160 से 186 तक	140 से 173 तक	105 से 129.75 तक
8	लोकनायकपुरम	एमआईजी	63	134 से 141 तक	118 से 123 तक	88.5 से 92.25 तक
	कुल		**769**			

टिप्पणी:

**योजना के लांच के समय फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, तथा किसी विशेष स्थान/क्षेत्र में फ्लैटों की संख्या उपलब्धता के आधार पर बदली जा सकती है।*

***प्लिंथ क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र शामिल है और यह प्रत्येक फ्लैट में भिन्न हो सकता है।*

****मांग पत्र प्रत्येक फ्लैट के वास्तविक प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार जारी किया जाएगा। इसलिए, फ्लैटों की निपटान कीमत प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। अनुमानित लागत में रूपांतरण शुल्क और जल कनेक्शन शुल्क शामिल नहीं है।*

नियम एवं शर्तें:

योजना के अन्य सभी निबंधन और शर्तें **डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 (एफसीएफएस)** और **डीडीए मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 के विवरणिका (ब्रोचर) के अनुसार होंगी।**

यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुणाल कश्यप

आयुक्त (आवास)

नोट :यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा